"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर 2009—भाद्र 31, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-31/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका धमतरी, जिला-धमतरी के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	02	शीतलापारा वार्ड
		10	महंत घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	09	मकेश्वर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	05	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		27	जालमपुर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	19	जोधापुर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	हटकेशर वार्ड
		08	नवागांव वार्ड
		11	साल्हेवार पारा वार्ड
		30	बांसपारा वार्ड
		33	दानीटोला वार्ड
		34	महिमासागर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	आमापारा वार्ड
		23	रामसागर पारा वार्ड
		28	ब्राम्हणपारा वार्ड
7.	महिला वर्ग	04	सुन्दरगंज वार्ड
		06	बठेना वार्ड
		21	टिकरापारा वार्ड
		22	नयापारा वार्ड
		26	कोष्टापारा वार्ड
		29	मराठापारा वार्ड
		36	गोकुलपुर वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-31/18/2009.--The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Dhamtari, Distt. Dhamtari is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	02	Shitlapara Ward
		10	Mahant Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	09	Makeshwar Ward
3.	Scheduled Tribes	05	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
		27	Jalampur Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	19	Jodhapur Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	01	Hatkeshar Ward
		08	Nawagaon Ward
		11	Salhewar Para Ward
		30	Banspara Ward
		33	Danitola Ward
		34	Mahimasagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Amapara Ward
		23	Ramsagar Para Ward
		28	Bramhanpara Ward
7.	Female	04	Sunderganj Ward
		06	Bathena Ward
		21	Tikrapara Ward
		22	Nayapara Ward
		26	Koshtapara Ward
		29	Maratha Para Ward
		36	Gokulpur Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-31/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	11	शंकरनगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	पचरी पारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	05	बजरंग चौक वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	संजय नगर वार्ड
		07	गांधी चौक वार्ड
		09	घासीदास वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	अस्पताल वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	महिला वर्ग	03	सरोजनी चौक वार्ड
		06	शिवाजी चौक वार्ड
		15	सरदार पटेल वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-31/18/2009.--The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Kurud, Distt. Dhamtari is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	11	Shanker Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	12	Pachari Para Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	05	Bajrang Chowk Ward
5.	Other Backward Class	01	Sanjay Nagar Ward
		07	Gandhi Chowk Ward
		09	Ghasidas Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Aspatal Ward
7.	Female	03	Sarojani Chowk Ward
		06	Shivaji Chowk Ward
		15	Sardar Patel Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-31/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत नगरी,

जिला-धमतरी के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
		12	सुभाष चंद बोस वार्ड
		14	शहीद गेंदसिंह नायक वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	रानी दुर्गावती वार्ड
		09	शहीद धर्मेन्द्र साव वार्ड
		11	महावीर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	07	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	रामनगर वार्ड
		08	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
		15	शहीद सेनानी वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-31/18/2009 --The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Nagri, Distt. Dhamtari is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 196), as follows :---

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	13	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	02	Pt. Shyama Prasad Mukharji Ward
		12	Subhash Chand Bose Ward
		14	Shahid Gend Singh Nayak Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Shahid Veer Narayan Singh Ward
5.	Other Backward Class	06 09 11	Rani Durgawati Ward Shahid Dharmendra Saw Ward Mahavir Ward
6.	Other Backward Class (Female)	07	Swami Vivekanand Ward
7.	Female	03 08 15	Ram Nagar Ward Chandrashekhar Azad Ward Shahid Senani Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-31/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत मगरलोड, जिला-धमतरी के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	11	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	03	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	रानी दुर्गावती वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04 07 08	सुभाष चंद्र बोस वार्ड रानी लक्ष्मीबाई वार्ड पं. सुन्दरलाल शर्मा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	13	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	06 09 10	महात्मा गांधी वार्ड पं. नारायण राव मेघावाले वार्ड पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-31/18/2009.--The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Magarlod, Distt. Dhamtari is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	11	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	03	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	15	Rani Durgawati Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	04	Subhash Chand Bose Ward
		07	Rani Laxmi Bai Ward
		08	Pt. Sunderlal Sharma Ward
6.	Other Backward Class (Female)	13	Shahid Veernarayan Singh Ward
7.	Female	06	Mahatma Gandhi Ward
		09	Pt. Narayan Rao Meghawale Ward
		10	Pt. Dindayal Upadhyay Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-31/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा [illegible] एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत [illegible], जिला-धमतरी के आरक्षित [illegible] की सूची निम्नानुसार प्रकाशित [illegible] जाती है :—

[illegible] वार्डों की सूची

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	अनुसूचित जाति वर्ग	[illegible]	[illegible]
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	[illegible]	[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	07	पंढरीराव कृदत्त वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06 09 12	महात्मा गांधी वार्ड नेताजी सुभाषचंद बोस वार्ड मिनीमाता वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
7.	महिला वर्ग	01 02 08 14	शहीद भगत सिंह वार्ड स्वामी विवेकानंद वार्ड चंडी मंदिर वार्ड बाबु छोटेलाल श्रीवास्तव वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-31/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Bhakhara, Distt. Dhamtari is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	03	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	07	Pandhari Rao Kridatt Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	06 09 12	Mahatma Gandhi Ward Netaji Subhash Chand Ward Minimata Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Dr. Shyama Prasad Mukharji Ward
7.	Female	01 02 08 14	Shahid Bhagat Singh Ward Swami Vivekanand Ward Chandi Mandir Ward Babu Chhotelal Shrivastav Ward

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-31/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत आमदी, जिला-धमतरी के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग		निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	शिवाजी राव वार्ड
		12	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		13	दशरथ वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	03	वीर नारायण सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	01	महात्मा गांधी वार्ड
		04	श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड
		05	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		06	सुभाष चंद बोस वार्ड

Raipur, the 17th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-31/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Amdi, Distt. Dhamtari is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste		Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	02	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	09 12 13	Shivaji Rao Ward Chandrashekhar Azad Ward Dasharath Ward
6.	Other Backward Class (Female)	03	Veer Narayan Singh Ward
7.	Female	01 04 05 06	Mahatma Gandhi Ward Smt. Indira Gandhi Ward Swami Vivekanand Ward Subhash Chand Bose Ward

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.